FORM NO. III

फर्दअंहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी...................मुकाम ....तालेडा.......................................

रतनलाल उर्फ बाबू .... बनाम .... सरकार ....

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 88, 89 R.T.Act & 136 L.R. Act नं. 247 /दावा/ सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/1/25	वाद पत्र सरिस्ते से बाद रिपोर्ट होकर पेश हुआ। वादी मय अभिभाषक उपस्थित हुए। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 28/1/25 को पेश हो। [signature]	
28/1/25	वकील वादी उप.। तलबी रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः तलबाना सम्मन पेश होने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दि. 25/2/25 को पेश हो। [signature]	
25/2/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28/4/25 को पेश हो [signature]	
28/4/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 30/4/25 को पेश हो Report TDR प्राप्त। [signature]	
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। TDR रिपोर्ट पश्चात जवाब पेरोकार पेश किया गया। वकील वादी द्वारा सीधे बहस का निवेदन करने पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं बहस उभय पक्ष पर मनन करने पर वादी का नाम रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरजमल उर्फ सुज्या बाबर जाति बाबर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर	

श्रीमान उपर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	से क्रम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। ह0 अ0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिह R.A.S

...नं0 ...

.../दावा/20245

तारीख दायरा

08.01.2025

तारीख फैसला

30.04.2025

रतनलाल उर्फ बाबू उम्र वयस्क पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सूज्या बाबर निवासी ग्राम नोताडा मोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान ।

–वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

–प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता वादी :– श्री नन्दसिंह सौलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वाद पत्र वास्ते अधिकार घोषणा एवं नाम शुद्धीकरण

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1119 रकबा 1.7563 हैक्टेयर खसरा संख्या 1274 रकबा 0.2347 हैक्टेयर कुल किता 2 कु रकबा 1.9910 हैक्टेयर जो वाके ग्राम नोताडा मोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है। वादी चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है वादी के पिता सूरजमल उर्फ सूज्या की मृत्यू के उपरान्त भूमि पर फौती इंतकाल उनके वारिसान का खोला गया तत्समय मुझ वादी का बोलता नाम बाबू पुत्र सूज्या राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ जबकि मुझ वादी का सभी दस्तावेजो में नाम रतनलाल पुत्र सूरजमल जाति बाबर अंकित है प्रार्थी द्वारा नामान्तरण प्रार्थना पत्र मे रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सूज्या बाबर अंकित होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन नही कर बोलता नाम बाबू पुत्र सूज्या राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जब मुझ वादी द्वारा तहसील तालेडा में इस सम्बंध में शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु नाम बाबू पुत्र सूज्या ही दर्ज हुआ जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एव आनन–फानन में वादी का नाम बाबू पुत्र सूज्या ही दर्ज कर दिया तथा वादवर्णित कृषि भूमि मे वादी के हक अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया। वादी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय की अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करे की वादी रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सुज्या बाबर एक ही व्यक्ति है जिसका उक्त भूमि पर हक व अधिकार है तथा रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सूज्या बाबर एक ही व्यक्ति होने के कारण राजस्व रिकार्ड में रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सुरज मल उर्फ सूज्या बाबर दर्ज करने का आदेश प्राप्त करे। वादी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखता है कि वादी की भूमि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पर काबिज काश्त के आधार पर एवं दस्तावेजो के आधार पर तहसीलदार तालेडा को आदेशित करे कि पुनः वादी के खाते की भूमि जो वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है पर वादी का नाम रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सूज्या बाबर जाति बाबर दर्ज कर अंकित करे। अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1119 रकबा 1.7563 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1274 रकबा 0.2347 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9910 हैक्टेयर जो वाके ग्राम नोताडा मोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। पर वर्तमान में वादी की काबिज स्थिति को देखते हुये एवं दस्तावेजो के आधार पर नाम रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सूज्या बाबर जाति बाबर के नाम हक व अधिकारो की घोषणा कर राजस्व जमाबन्दी मे रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सूज्या बाबर जाति बाबर दर्ज कर शुद्धीकरण करने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे ।

वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

[illegible] तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 251 दिनांक 26.04.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित [illegible] कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1119 रकबा 1.7563 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1274 रकबा 0.2347 [illegible] कुल किता 2 कुल रकबा 1.9910 हैक्टेयर जो वाके ग्राम नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी [illegible]स्थान में विस्थित है जिसमे वादी का बाबू आ0 सूज्या जाति बाबर दर्ज है उक्त नाम फोती नामान्तकरण दर्ज करते वक्त वादी का बोलता नाम दर्ज हुआ है जबकि वादी के सभी दस्तावेजो में यथा आधार कार्ड, जनआधारकार्ड, ग्राम पंचायत रिपोर्ट में वादी का नाम रतनलाल पुत्र सूरजमल जाति बाबर अंकित है। बाबू व रतनलाल पुत्र सूरजमल व सूज्या जाति बाबर दोनो एक ही व्यक्ति है व ग्राम नोताडामोपत में इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही होना बताया। नाम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की ।

वादीद्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 122 संवत 2076 वाके ग्राम नोताडामोपत, ग्राम पंचायत नोताडा भोपत का दिनांक 24.4.2015 का प्रमाण पत्र , पटवार मण्डल नोताडा की दिनांक 25.6.1994 की रिपोर्ट व आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम वर्तमान में वादी की काबिज स्थिति को देखते हुये एवं दस्तावेजो के आधार पर नाम रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सूज्या बाबर जाति बाबर के नाम हक व अधिकारो की घोषणा कर राजस्व जमाबन्दी मे रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सूज्या बाबर जाति बाबर दर्ज कर शुद्धीकरण करने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार वादीका नाम संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी खाता सं0 122 संवत 2076 वाके ग्राम नोताडामोपत, ग्राम पंचायत नोताडा भोपत का दिनांक 24.4.2015 का प्रमाण पत्र , पटवार मण्डल नोताडा की दिनांक 25.6.1994 की रिपोर्ट व आधार कार्ड का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि वादी का नाम रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सूज्या बाबर जाति बाबर किया जाना उचित है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1119 रकबा 1.7563 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1274 रकबा 0.2347 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9910 हैक्टेयर जो वाके ग्राम नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी मे वादी का नाम रतनलाल उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरज मल उर्फ सूज्या बाबर जाति बाबर दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा